राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 12(5) ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010 पार्ट–1

जयपुर, दिनांक : 26 DEC 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने के क्रम में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि पंचायती राज विभाग में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिकों एवं राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियंता, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर, कनिष्ठ लेखाकार, समन्वयक प्रशिक्षण, समन्वयक आईईसी एवं समन्वयक पर्यवेक्षण की भर्ती की जा रही है। इन पदों की भर्ती में महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों को अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों को अनुभव का प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव का प्रमाण–पत्र जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा जारी किये जावे। जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक इस कार्य के लिए किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी बना सकते हैं, जो अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रेंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा।
2. अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करते समय पूर्ण सावधानी बरती जावे। अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने वाला अधिकारी कार्मिक के संबंध में उसके पदस्थापित होने वाले कार्यालय से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर एवं रिकॉर्ड की पूर्ण जांच करने के बाद ही अनुभव का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।
3. अनुभव प्रमाण–पत्र उन्हीं संविदा कार्मिकों को जारी किया जावे, जो वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजना में अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत हैं।
4. अनुभव प्रमाण–पत्र उन्हीं संविदा कार्मिकों को दिया जावे, जिनका कार्य संतोषजनक रहा है। कार्यरत रहने की अवधि के दौरान यदि कार्मिक ने कोई वित्तीय अनियमितता, गबन या अनुशासनहीनता की है तो उसके कार्य को संतोषजनक नहीं माना जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कार्मिक के विरूद्ध सेवारत रहने की अवधि में सेवा संबंधी कोई आपराधिक कृत्य करने के कारण कोई एफआईआर संबंधित थाने में दर्ज करवाई गई है या इससे संबंधित कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है या ऐसे मामलों में न्यायालय से सजायाब है तो उसके कार्य को भी संतोषजनक नहीं माना जावे।
5. जिन संविदा कार्मिकों ने संविदा शर्तों का उल्लंघन किया है, उन्हें अनुभव प्रमाण–पत्र नहीं दिया जावे।

6. जिन संविदा कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है या राजकीय राशि का गबन करने के कारण गबन की गई राशि वसूल की गई है या की जा रही है या उन्हें कार्यरत रहने के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित किया गया है तो उनके कार्य को संतोषजनक नहीं मानते हुए उन्हें भी अनुभव प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावे।

7. जो संविदा कार्मिक न्यायालय के स्थगन के आधार पर सेवारत हैं, उन्हें जिस अवधि के लिए वे लगातार सेवारत रहे हैं, उस अवधि का अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में अभ्यर्थी का चयन माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

8. संविदा कार्मिकों को अनुमत आकस्मिक अवकाश के अलावा अनुपस्थित अवधि को अनुभव की अवधि में शामिल नहीं किया जावे।

9. वर्षवार अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान पंचायती राज विभाग में किया गया है। एक वर्ष से कम अवधि के अनुभव के लिए कोई बोनस अंक देय नहीं है। एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने, लेकिन दो वर्ष से कम अनुभव होने पर 10 अंक, दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने, लेकिन तीन वर्ष से कम अनुभव होने पर 20 अंक तथा तीन वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूर्ण करने पर अधिकतम 30 अंक बोनस के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। अतः इसी अनुसार एक, दो या तीन जैसी भी स्थिति हो, वर्षों का पूर्ण अनुभव होने पर ही उक्तानुसार अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

10. अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने वाला अधिकारी कार्मिक के संबंध में उपरोक्तानुसार आवश्यक सूचना कार्मिक के पदस्थापित होने वाले कार्यालय से प्राप्त कर पूर्ण संतुष्टि के बाद ही अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

11. अनुभव प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में ही जारी किया जावे।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(सी. एस. राजन)
अति. मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्न को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. अति. आयुक्त (प्रथम / द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
7. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला ....

क्रमांक   दिनांक :

अनुभव प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... ने दिनांक .... से .... तक (कुल अवधि .... वर्ष....... माह .... दिन ....) महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद .... में .... पद पर संविदा के आधार पर निरन्तर रूप से कार्य किया है तथा अब भी उक्त पद पर कार्यरत हैं। इस अवधि के दौरान इनका कार्य संतोषजनक रहा है। इनके विरूद्ध वित्तीय अनियमितता, गबन एवं अनुशासनहीनता के कारण कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है और न ही विचाराधीन है। इनके विरूद्ध सेवारत रहने की अवधि में सेवा संबंधी कोई आपराधिक कृत्य करने के कारण कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही इन्हें ऐसे किसी आपराधिक कृत्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा सजा दी गई है।

दिनांक :

(हस्ताक्षर)
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
या
उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी